बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांकः- 152501 पटना, दिनांक:- 18-06-2013

ग्रा0वि0-5/इं.आ.यो.(वि0अभि0)-102-14/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी</u> ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **दिनांक 29.06.2013 (शनिवार) को इंदिरा आवास के लाभुकों के बीच सहायता राशि के वितरण हेतु प्रखण्ड स्तरीय शिविर आयोजित करने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2013 को जिलों में अवशेष राशि का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग करने की दृष्टि से यह निदेशित किया गया था कि लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के रूप में माह अप्रैल एवं मई में भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन कर राशि कर्णांकित करते हुए शेष राशि का उपयोग वर्ष 2013-14 के लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों का चयन कर उन्हें प्रथम किस्त की सहायता राशि के भुगतान कर किया जाय । तदनुसार जिलों द्वारा आवश्यक तैयारियाँ भी की गई तथा प्रखण्ड स्तरीय शिविर के आयोजन के तिथि में संशोधनोपरान्त दिनांक 08.06.2013 को शिविर का आयोजन कर लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ बैंक पासबुक हस्तगत कराया गया । किन्तु उक्त शिविर की उपलब्धि अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही । सिवान एवं सारण में महाराजगंज संसदीय उप निर्वाचन के कारण एवं अररिया एवं मधेपुरा में प्रशासनिक कारणों से शिविर का आयोजन नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त कतिपय जिलों में निधि की अनुपलब्धता के कारण भी शिविर की उपलब्धि कम रही । राज्य के 24 जिलों को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निधि की स्वीकृति की सूचना तो मिली किन्तु जिलों के खाते में निधि का अंतरण नहीं हो पाया था ।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के संबंध में जिलों के साथ Video Conferencing में यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2013-14 के लिए इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन कर लिया गया है तथा अन्य औपचारिकताएँ भी पूरी कर ली गई है । साथ-ही-साथ यह भी जानकारी दी गई है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से योजनान्तर्गत निधि भी जिलों के खाते में उपलब्ध करा दिये गये हैं । अतएव प्रखण्ड स्तरीय शिविर आयोजित करने में अब कोई कठिनाई नहीं है ।

उपर्युक्त सभी परिस्थितियों को देखते हुए एवं इंदिरा आवास के लाभुकों के व्यापक हित में प्रथम किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए दिनांक **29.06.2013 (शनिवार)** को प्रखण्ड स्तरीय शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है । लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि भुगतान की कार्रवाई पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी । लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि भुगतान करने संबंधी सभी जानकारी आवास सॉफ्ट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा लाभुकों के खाते में निधि का हस्तांतरण हेतु आवास सॉफ्ट से जेनरेटड एडभाईस को संलग्न कर ही बैंक को लाभुक के खाते में राशि अंतरित किये जाने का आदेश दिया जाय ।

यदि पाया जाता है कि किसी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध राशि के अनुरूप आवास की स्वीकृति नहीं दी गयी है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

अत: आपसे अनुरोध है कि दिनांक **29.06.2013 (शनिवार)** को प्रखण्ड स्तरीय शिविर में वर्ष 2013-14 के लक्ष्य के विरूद्ध अवशेष लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । साथ ही निम्न प्रपत्र में दिनांक 29.06.2013 के संध्या 6.00 बजे तक ई-मेल के द्वारा विभाग को प्रखण्डवार सूचना उपलब्ध करायी जाय :-

<u>प्रपत्र</u>

जिला का नाम :- **तिथि :-**

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	लक्ष्य	कितने लाभुकों का ऑर्डर शीट आवास सॉफ्ट पर जेनरेट किया गया	वितरित पासबुक की सं0	कुल उपलब्ध राशि	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विश्वासभाजन

18.6.13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ____________ पटना, दिनांक ____________

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

18.6.13
सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 846.doc